बड़े हों या छोटे
गरीब, अशक्त या हों बीमार
आसानी से अब पहुँचेगी,
बैंकिंग सुविधाएं सबके द्वार !

उत्तर प्रदेश के 3808 ग्राम पंचायतो मे बी०सी० सखी के रिक्तियो के सापेक्ष

आवेदन का आमंत्रण

(रिक्त 3808 ग्राम पंचायतों की सूची www.upsrlm.org/vaccantgp वेबलिंक पर उपलब्ध है)

प्राथमिकता : जिस भी ग्राम पंचायतो मे स्वयं सहायता समूह है, उनके सदस्यो को प्राथमिकता।

मोबाइल एप से आवेदन स्वीकार करने की अन्तिम तिथि : 05 फरवरी, 2023

(उपरोक्त अवधि एवं सूचीबद्ध 3808 ग्राम पंचायतों से अन्यथा कोई भी आवेदन स्वीकार्य नही होंगे)

बैंकिंग कॉरेस्पॉडेंट (बीसी) सखी क्या है-

- बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित बैंक, जिन्हे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से सम्बद्ध किया हुआ है, के अन्तर्गत माइक्रो-एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने मे सक्षम।
- बी.सी. सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणो तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है।
- इससे न सिर्फ वित्तीय लेन-देन सुगम होगी बल्कि ग्रामीणो के काम-धन्धो मे तेजी आएगी, समय और खर्च मे बचत होगी।
- बी.सी. सखी के माध्यम से सरकारी स्कीम-आधारित सब्सिडी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि मे रकम की आसानी से निकासी सम्भव होगी।
- हर तरह की आर्थिक लेन-देन, बैंक खातो मे जमा एवं निकासी, नए खाते खोलने जैसी सुविधाएं हर ग्रामीण तक पहुंचेगी।

बीसी सखी के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं-

- ऐसी उद्यमी, गतिशील व महत्वाकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो।
- समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान और विशेष कर उनके आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हो, गरीब तथा वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदार व प्रतिबद्ध हो।
- मोबाइल व टेक्नॉलाजी आधारित काम करने व सीखने मे रूचि रखती हो।
- न्यूनतम शिक्षा-10वीं उत्तीर्ण हो, उम्र-न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष हो।
- आवेदिका उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हो जहां के लिए आवेदन कर रही हो।
- कार्य के सिलसिले मे पूरे ग्राम पंचायत मे भ्रमण करने, घरो व व्यावसायिक प्रतिष्ठानो मे जाने के लिए तैयार हो।

बीसी सखी के लिए आवेदन कैसे करें -

- गूगल प्ले स्टोर से UP BCSakhi मोबाइल एप डाउनलोड करे।
- आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल फोन नम्बर ही डाले ताकि एसएमएस OTP द्वारा सही सत्यापन हो सके।
- सभी सवालो के ईमानदारी से जवाब दे, गलत तथ्य या भ्रामक उत्तर देने पर आवेदन स्वीकार्य नही किये जाएँगे।
- एक से ज्यादा बार आवेदन न करे। ऐसी स्थिति मे सभी आवेदन अस्वीकार किये जायेंगे।
- किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए बीसी सखी कॉल सेंटर पर फोन करे : 0522-2724611

गूगल प्ले स्टोर से UP BCSakhi एप डाउनलोड करें

अस्वीकारीकरण: ग्राम्य विकास विभाग व राज्य मिशन ने इन आवेदनो के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को सम्बद्ध नही किया है न ही किसी भी मध्यस्थता की व्यवस्था की है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा कोई दावा करते है तो वे सर्वथा अमान्य है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश